

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत इस कार्यालय में अपीलिय प्राधिकारी को भेजी जाने वाली अपीलों निम्नलिखित ई-मेल पते पर भेजी जाएं:-

rti.appeal@pmo.nic.in

15 जून, 2009 से केवल इस ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई अपीलों पर ही इस कार्यालय में अपीलिय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और किसी अन्य ई-मेल पते पर भेजी गई अपीलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह ई-मेल पता केवल अधिनियम की धारा 19 के तहत की जाने वाली अपीलों के लिए ही निर्धारित है।